"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 मार्च 2018 — फाल्गुन 17, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10—10/2018/वाक(आब)/पांच(24). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.),(छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त राजस्व जिलों में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

छत्तीसगढ़ शासन के नियम
छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के
अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018" है।

   (दो) यह नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषायें :— जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरूद्ध न हो, इन नियमों में—

   (1) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, समय—समय पर यथा—संशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)।

   (2) 'आबकारी वर्ष' से अभिप्रेत है, एक अप्रैल से प्रारंभ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष।

   (3) 'प्रपत्र' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र।

   (4) 'अनुज्ञापन प्राधिकारी' से अभिप्रेत है, जिले के कलेक्टर।

   (5) सी.एस.एम.सी.एल. से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड।

(6) "प्लेसमेंट एजेंसी" से अभिप्रेत है, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा सार्वजनिक उपक्रम सी.एस.एम.सी.एल. (अथवा शासन) को नियत प्रक्रिया के क्रम में देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराना।

(7) 'लाइसेंस फीस' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के खण्ड (दो) के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से देशी/विदेशी मदिरा के बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार के लिये राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये लाईसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि।

3. फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंसों का व्यवस्थापन :-

(क) इन नियमों के अध्यधीन रहते हुए देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के लिये फुटकर दुकान/दुकानों का लायसेंस सी.एस.एम.सी.एल. (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये प्राधिकारी को प्रदत्त किया जायेगा।

(ख) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति, इन नियमों के संलग्न प्रपत्र उपबन्ध (1) व (2) पर क्रमशः सी.एस. 2-(घघ) व एफ.एल. 1(घघ) में मंजूर किये जावेंगे।

4. लाइसेंस की अवधि :-लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके उस भाग, जिसके लिये लाइसेंस मंजूर किया गया है, के लिए होगी। लाइसेंस का नवीनीकरण ऐसे निर्बन्धन और शर्तों पर किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये।

5. आवेदन पत्र :-सी.एस.एम.सी.एल. अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ-1) में आवेदन निर्धारित लायसेंस फीस रूपये 10,000/- (अक्षरी दस हजार) प्रति मदिरा दुकान (देशी/विदेशी) एक मुश्त जमा कर प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र लायसेंस प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

6. लाइसेंस मंजूर करने के लिए प्रक्रिया :-

1. जिले की देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन के लिए आवेदन हेतु सी.एस.एम. सी. एल. अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नियम 5 की प्रक्रिया अनुसार आवेदन पर लायसेंस प्रदान किया जावेगा।

2. अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर लायसेंस स्वीकृत कर सकेगा।

7. मदिरा दुकान के संचालन हेतु कर्मचारियों की पात्रता की शर्तें :-

(1) भारत का नागरिक हो।

(2) 21 वर्ष से अधिक आयु का हो।

(3) उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो एवं उस पर कोई आबकारी बकाया/शासकीय राशि देय न हो।

(4) किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित न हो।

(5) वह महिला न हो।

8. मदिरा का उठान :-

(क) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी एवं अधिभार चुकाकर, संबंधित भण्डारण भण्डागार से तथा विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी एवं अधिभार चुकाकर, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से अभिप्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा।

(ख) देशी मदिरा भंडारण भण्डागार/छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके पास परिवहन अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया गया है, परिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त होने पर मदिरा प्रदाय करने की तारीख तथा समय अभिलिखित करेगा और मांगी गई मदिरा की मात्रा का यथासंभव प्रदाय को सुनिश्चित करेगा।

(ग) काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो :–

(I) आसवक/प्रदायकर्ता के द्वारा प्रदाय किए जा रहे देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के प्रदाय पर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो, निम्नानुसार देय होगा :–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>मदिरा का प्रकार</th><th colspan="2">काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क जैसा भी लागू हो</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>देशी मदिरा</td><td colspan="2">कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">विदेशी मदिरा</td><td>(स्प्रिट)</td><td>लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 45 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>(माल्ट)</td><td>लैंडिंग प्राईस (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) पर 35 प्रतिशत</td></tr>
</table>

(II) उपरोक्त काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क का भुगतान देशी मदिरा के भंडारण भण्डागार/छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम में मदिरा प्रदाय के पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।

(III) उक्त ड्यूटी के प्रदाय के उपरांत ही मदिरा भंडारण भण्डागार/छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम में प्रदाय की जा सकती है। प्रदायकर्त्ता द्वारा प्रदाय की गई मदिरा के परेषण के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक टूट–फूट/भण्डारण पर टूट–फूट पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क) अथवा आबकारी शुल्क वापसी योग्य नहीं होगी।

(घ) दिनांक 01–04–2018 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>मदिरा का प्रकार</th><th>वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>देशी मदिरा :–
मसाला – 25.0UP
प्लेन – 50.0 UP
रासी – 60.0 UP</td><td>रूपये 285/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td rowspan="11">2.</td><td colspan="2">विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :–विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2018–19 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काउंटरवेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) प्रति पेटी निम्नानुसार होगी :–</td></tr>
<tr><td>1. रूपये 800/– तक</td><td>रूपये 300/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>2. रूपये 801/– से 1100/– तक</td><td>रूपये 450/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>3. रूपये 1101/– से 1500/– तक</td><td>रूपये 550/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>4. रूपये 1501/– से 2000/– तक</td><td>रूपये 660/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>5. रूपये 2001/– से 3000/– तक</td><td>रूपये 720/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>6. रूपये 3001/– से 4000/– तक</td><td>रूपये 790/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>7. रूपये 4001/– से 6000/– तक</td><td>रूपये 830/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>8. रूपये 6001/– से 8000/– तक</td><td>रूपये 850/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>9. रूपये 8001/– से 10,000/– तक</td><td>रूपये 880/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
<tr><td>10. रूपये 10,001/– और उससे अधिक</td><td>रूपये 900/– प्रति प्रूफ लीटर</td></tr>
</table>

3.	बीयर (माल्ट) मदिरा	भण्डागार प्रदाय दर (काउंटरवेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) पर 100 प्रतिशत की दर से परन्तु न्यूनतम ड्यूटी दर रूपये 75/- प्रति बल्क लीटर से कम नहीं होगी।
4.	सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए :-	
	(क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रूपये 30/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट) मदिरा	रूपये 8/- प्रति बल्क लीटर

9. फुटकर विक्रय मूल्य :- शासन द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिए फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। विक्रयकर्ता, निर्धारित किए गए उक्त फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

10. देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय :-छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 के नियम 10 सहपठित सी.एस.2(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 8 एवं एफ.एल. 1(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक 16 में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय प्रातः 12.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक निर्धारित रहेगा।

"परन्तु कानून-व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12.00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11.00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9.00 बजे के एक घंटे पश्चात् अर्थात् रात्रि 10.00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा।"

11. शुष्क दिवस :-

(11.1) प्रदेश में स्थित देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ-साथ एफ.एल. 2, 3, 3क, 4, 4क, 6, 7, 8 एवं 10 को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों पर बंद रखा जावेगा :-

क्रमांक	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
(1)	(2)	(3)
1.	26 जनवरी " गणतंत्र दिवस"	1 दिवस
2.	15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस"	1 दिवस
3.	02 अक्टूबर "गांधी जयंती"	1 दिवस
4.	30 जनवरी "महात्मा गांधी निर्वाण दिवस"	1 दिवस
5.	मोहर्रम	1 दिवस
6.	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	1 दिवस
7.	18 दिसम्बर "गुरू घासीदास जयंती"	1 दिवस

(11.2) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार हैं कि, वे वित्तीय वर्ष के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते है। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सुसंगत विधि के प्रावधानों के अधीन दुकान बन्द करने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा/ विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप-चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम हैं।

12. मदिरा दुकानों के स्थापना के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164—12166/2016 तमिलनाडु राज्य एवं अन्य विरूद्ध के. बालू एवं अन्य में पारित आदेश, दिनांक 15.12. 2016 के परिपालन में :—

i. राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के समानांतर शराब की बिक्री के लिए लायसेंस नहीं देने के निर्देश हैं।

ii. कंडिका (i) का प्रावधान नगर निगम, शहर, कस्बे या स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर से गुजरने वाले उक्त राजमार्गों पर भी प्रभावशील होगा।

iii. मौजूदा लायसेंस, लायसेंस अवधि समाप्ति तक प्रभावशील रहेंगे। किन्तु 1 अप्रैल, 2017 से कोई नवीन लायसेंस स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

iv. शराब की उपलब्धता के संकेतक और विज्ञापन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोनों ओर निषिद्ध होगा।

शराब बिक्री की कोई दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से, (i) दिखाई न दे (ii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से पहुंच में न हो (iii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से या राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी छोर से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित न हो।

13. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टॉक का व्ययन :— अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा के अतिशेष स्टॉक का व्ययन सामान्य लाइसेंस शर्त क्रमांक—25 के अंतर्गत तथा विदेशी मदिरा के अतिशेष का व्ययन छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (6) के अनुसार किया जायेगा।

14. देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन, निरीक्षण की समीक्षा एवं अवैध मदिरा पर प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समिति :—

14.1 देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन (यथा दुकानों को किराए पर लेना, प्लेसमेंट एजेंसी से कर्मचारी लेना, दुकानों के संचालन के लिए वस्तुओं का क्रय, निरीक्षण की समीक्षा तथा अवैध मदिरा पर प्रभावी रोकथाम आदि) के लिए जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,

(1) जिला कलेक्टर — अध्यक्ष

(2) जिला पुलिस अधीक्षक — सदस्य

(3) अधीक्षण/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग — सदस्य

(4) जिला महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रबंधक
(छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) — सदस्य, सचिव

14.2 उक्त समिति द्वारा जिला की समस्त फुटकर मदिरा दुकानों के स्थापन तथा इसकी प्रगति की समीक्षा करेगी।

14.3 (अ) उक्त समिति के अधीन मदिरा दुकानों को किराए पर लिए जाने के लिए उपसमिति गठित की जाती है। उपसमिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/एडीशनल कलेक्टर — अध्यक्ष

(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक — सदस्य

(3) जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी — सदस्य

(4) जिला कोषालय अधिकारी — सदस्य

(5) जिला महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रबंधक
(छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) — सदस्य, सचिव

(ब) उक्त समिति के अधीन मदिरा दुकानों के संचालन के लिए पर्यवेक्षक/विक्रयकर्ता आदि के चयन के लिए उपसमिति गठित की जाती है। उपसमिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/एडीशनल कलेक्टर — अध्यक्ष

(2) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक — सदस्य

(3) जिला रोजगार अधिकारी — सदस्य

(4) श्रम अधिकारी — सदस्य

(5) जिला महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक / प्रबंधक
(छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) — सदस्य, सचिव

15. निरसनः—इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम को उनके प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरस्तीकरण होते हुए भी कोई आदेश या कार्यवाही जो देशी / विदेशी मदिरा दुकान या दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए पहले से की गई हो, विधि मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

प्ररूप

सी.एस.–2 (घघ)

नियम 3 (ख)

देशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलो में
देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये परिसर में उपभोग हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या .... वर्ष .... स्थान ....जिला – ....
वार्षिक लायसेंस फीस रूपये (अंको में) 10,000/– रूपये (अक्षरों में) दस हजार देशी मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति फीस, एक मुश्त पटाये जाने उपरान्त यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ।

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर ....

दक्षिण ....

पूर्व ....

पश्चिम ....

लायसेंसधारी का नाम एवं पता :

1. नाम .... पता. ....

पर्यवेक्षक एवं विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री .... आ. .... नि. ....
2. श्री .... आ. .... नि. ....
3. श्री .... आ. .... नि. ....
4. श्री .... आ. .... नि. ....
5. श्री .... आ. .... नि. ....
6. श्री .... आ. .... नि. ....
7. श्री .... आ. .... नि. ....
8. श्री .... आ. .... नि. ....

देशी मदिरा की मसाला 25.0 यू.पी. सादी 50.0 यू.पी. तथा रासी 60.0 यू.पी. की मानक बोतल (750 मि.ली.) अद्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) के फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... (स्थान) .... तहसील के लिए दिनांक 01 अप्रैल .... से 31 मार्च .... हेतु जिसके लिए नियम–6 के अनुसार लायसेंस फीस एक मुश्त जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

सामान्य और विशेष शर्ते

1. देशी मदिरा के लिये निर्धारित ड्यूटी राशि का भुगतान कर देशी मदिरा का उठान संबंधित जिले के भण्डारण के भाण्डागार से किया जा सकेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा निर्धारित ड्यूटी एवं अधिभार चुकाकर, संबंधित भण्डारण भण्डागार से अभिप्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा। ऐसा प्रदायकर्ता जिसे मांगपत्र दिया गया हो, यथासंभव शीघ्र देशी मदिरा का प्रदाय करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को सूचना देगा, जो ऐसा मांगपत्र प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र मदिरा को प्रदाय के लिए व्यवस्था करेगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी शासन द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नही लेगा।

4. परिसर पर उपभोग के लिये मुहर बंद बोतलो में देशी मदिरा की बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक भाग अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल परिसर में उपभोग के लिये अनुमति होगी। परिसर मे उपभोग के लिये खुली हुई मदिरा नही परोसी जायेगी।

5. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी मदिरा की बिक्री मुहरबंद बोतलों बोतल, अद्धा, पाव में बिक्री की जायेगी और जिन पर आबकारी आयुक्त द्वारा सुरक्षा होलोग्राम, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में लगे हुए होंगे।

6. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी को देशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लायसेंस मंजूर किया गया है, परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नही दी जायेगी।

8. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 12:00 बजे सुबह से 9:00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, परंतु कानून व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11:00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9:00 बजे के एक घंटे के पश्चात् अर्थात् रात्रि 10:00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

9. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी देशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल लायसेंस परिसर में ही करेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में बैठने की युक्तियुक्त व्यवस्था करेगा, जैसा बेंचो की पर्याप्त संख्या, तख्तों, कुर्सियों तथा टेबिल आदि।

11. प्लेसमेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।

12. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक देशी मदिरा नही बेचेगा।

13. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नही की जायेगी, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।

14. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलो, सुरक्षा होलोग्राम/चोरीरोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

15. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नही रखेगा।

16. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फीट के भीतर जहां विक्रय के लिए देशी मदिरा भण्डारित की गई है, पानी का रखना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

17. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी परिसर की समुचित देख–रेख और सफाई के लिए, उसमें नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।

18. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी परिसर के भीतर प्रयोग किए गए सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए विशेषतः निर्मित खाली या इस प्रयोजनार्थ रखे गये ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय हेतु विक्रय के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।

18. (क) पर्यावरण एवं साफ–सफाई को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा दुकान के अहाता में डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।

19. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग, आवास के स्थान के रूप में नही किया जायेगा.

20. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीद्दारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

21. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अंतर्गत निपटारा किया जायेगा।

22. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2 क एवं 2 ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्ही विशेष शर्तो/आदेशों/निर्देशों से आबद्धकर होगा।

तारीख : .... अनुज्ञापन प्राधिकारी

जिला : ....

प्ररूप
एफ.एल. –1 (घघ)
नियम 3 (ख)

विदेशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलो में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री
हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या .... वर्ष .... स्थान ....जिला – ....
वार्षिक लायसेंस फीस रूपये (अंको में) 10,000/– रूपये (अक्षरों में) दस हजार विदेशी मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति फीस एक मुश्त पटाई जाने पर अनुज्ञप्ति जारी।

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर ....

दक्षिण ....

पूर्व ....

पश्चिम ....

लायसेंसधारी का नाम एवं पता :

1. नाम .... पता. ....

विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री .... आ. .... नि. ....
2. श्री .... आ. .... नि. ....
3. श्री .... आ. .... नि. ....
4. श्री .... आ. .... नि. ....
5. श्री .... आ. .... नि. ....
6. श्री .... आ. .... नि. ....
7. श्री .... आ. .... नि. ....
8. श्री .... आ. .... नि. ....

परिसर से बाहर उपयोग के लिये मानक बोतल (750 मि.ली.) अद्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) की फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला .... के अन्तर्गत .... (स्थान) .... तहसील के लिए दिनांक 01 अप्रैल .... से 31 मार्च .... हेतु जिसके लिए नियम–6 के अनुसार लायसेंस फीस एकमु त जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

सामान्य और विशेष शर्ते

1 अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा निर्धारित ड्यूटी एवं अधिभार चुकाकर, संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से अभिप्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा।

2. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी, शासन द्वारा निर्धारित फुटकर मूल्य से कम मूल्य अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नही लेगा।

3. अनुज्ञप्ति परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी, कोई भी मदिरा परिसर पर उपभोग नही की जायेगी।

4. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को 180 मि.ली. के पाव से कम मात्रा की बिक्री नही की जायेगी। 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नही की जायेगी।

5. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबंद बोतलों अर्थात बोतल, अद्धा, पाव में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान प्रमाण के रूप में सुरक्षा होलोग्राम लगे हुए होंगे।

6. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब नामपत्र वार (लेबल वाईज) रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।

7. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा विदेशी मदिरा के संपूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल अनुज्ञप्त परिसर में ही करेगा।

(7–क) केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण के लिए दुकान में अनुमोदित परिसर में पर्याप्त स्थान न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक जॉचोपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के अनुमोदित परिसर से 100 मीटर की परिधि में स्थित गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण हेतु अनुज्ञा दे सकेगा। ऐसे गोदाम का, जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, विवरण अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि किया जाएगा।

(7–ख) यदि शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी को शर्त क्रमांक 7–क के अधीन अनुमोदित दुकान परिसर के साथ–साथ किसी गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण की अनुज्ञा दी गई हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भण्डारित समस्त विदेशी मदिरा का नामपत्र वार (लेबल वाईज) दिन प्रतिदिन का सही हिसाब रखेगा। विदेशी मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन, प्राधिकृत अधिकारी, जो आबकारी उप–निरीक्षक के पद से भिन्न पद श्रेणी का न हो, द्वारा जारी किये गये पास के द्वारा किया जाएगा। गोदाम तथा दुकान के बीच विदेशी मदिरा के अंतरण को दुकान तथा गोदाम में रखी गई स्टॉक–पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का गोदाम से विक्रय नहीं करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के विक्रय काउंटर पर विदेशी मदिरा की वर्तमान निर्धारित फुटकर विक्रय दरें प्रदर्शित करते हुए एक सहज दृश्य मूल्य तालिका प्रदर्शित करेगा।

9. प्लेसमेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या आबकारी बकाया/शासकीय राशि देय हो या महिला हो।

10. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा नही बेचेगा।

11. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति को मदिरा विक्रय नही की जावेगी, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।

12. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबलो, सुरक्षा होलोग्राम/चोरीरोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

13. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नही रखेगा।

14. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग, आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।

15. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा मदिरा बिक्री बढ़ाने के लिए खदीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

16. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 12:00 बजे सुबह से 9:00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, परंतु कानून व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11:00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9:00 बजे के एक घंटे के पश्चात् अर्थात् रात्रि 10:00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

17. विदेशी मदिरा को छोड़कर जिसके लिए की लायसेंस दिया गया है, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नही दी जायेगी।

18. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अन्तर्गत निपटारा किया जायेगा।

19. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए एफ.एल. 2, एफ.एल. 3, एफ.एल.3(क) एफ.एल. 4, एफ.एल. 4 (क) अथवा एफ.एल. 5/एफ.एल.5(क) अनुज्ञप्तिधारी को भी विदेशी मदिरा विक्रय करेगा।

किन्तु विदेशी मदिरा एफ.एल. 1(घघ) फुटकर दुकान से एफ.एल.3, एफ. एल.3(क), एफ.एल. 4 एवं एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए लैंडिग प्राईज रुपये ..../– प्रतिपेटी तक के विदेशी मदिरा स्प्रिट का परिवहन प्रतिषिद्ध रहेगा।

20. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2 क एवं 2 ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्हीं शर्तो/आदेशों/निर्देशों से आबद्ध कर होगा।

तारीख : ....
जिला : ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

परिशिष्ठ–1

आवेदन पत्र

(कृपया नियम 7 देखे)

1.

आवेदन का प्रकार	कंपनी

2.

आवेदक का आयकर विभाग का PAN (सी.एस.एम.सी.एल.)	

3. सी.एस.एम.सी.एल.का TIN (टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर)
4. वर्ष .... के लिए जिला ....की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्रः–

क्र.	दुकान का नाम

5. (अ) कंपनी का नाम :– ....

6. पता (अ) स्थाई निवास का पता :– ....

(i)पिन कोड :– ....

(ii)टेलीफोन नं. :– ....

(iii)मोबाईल नं. :– ....

(iv)ई.मेल आई.डी. :– ....

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :– ....

(i)पिन कोड :– ....

(ii)टेलीफोन नं. :– ....

(iii)मोबाईल नं. :– ....

(iv)ई.मेल आई.डी. :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.